C.A
उप वन संरक्षक
18/11/13

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
टेलीफैक्स। 2326696

पत्र सं0 8 बी/राज0/09/04/2012/एफ.सी. | 1922

दिनॉक: 08.11.2013

5307
20/11/13

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : सीकर जिले ग्राम–रलावता (जीणमाता) तहसील दाता रामगढ़ में डिस्पेंसरी निर्माण हेतु 0.50 हे0 वन भूमि अनारक्षण के संबंध में।

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के पत्रांक– एफ 14( )/2011/वसु/प्रमुवसं/8676, दिनांक– 18.09.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक– प01(3)वन/2012, दिनॉक: 22.02.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार सीकर जिले ग्राम रलावता (जीणमाता) तहसील दाता रामगढ़ में डिस्पेंसरी निर्माण हेतु 0.50 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 326 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रत्यावर्तित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 3260 वृक्षों का वृक्षारापेण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

12. डिस्पेंसरी द्वारा संबंधित ग्राम सभा को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और वन पदार्थ की विधिवत् बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/ राज्य राजस्व कोष में जमा किया जायेगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान
3. उप वन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास, सीकर, राजस्थान।
4. नर्बदा देवी सोनी ट्रस्ट, नर्बदा हाल्स, उत्तरादा बाजार, पोस्ट व जिला चुरू, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

08/11/13
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(3) Forest/2012 Jaipur, dated: 25 FEB 2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 8/Raj./09/04/2012/F.C./1282 dated 08.11.2013 for the project proponent Narbada Soni Trust for diversion of 0.50 ha. forest area for the purpose of Construction of Dispensary at Village ralavata (Jinmata), Teh. Dataramgarh, District Sikar . The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 02.09.2013 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

Sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jaipur.
8. Dy. Conservator of Forests, Sikar.
9. Project Proponent Trusty, Narbada Devi soni Trust, 12/2, Sovaram Baesas Street, Kolkata.

Secretary, Forests